



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन : 07752-220031, 220032, 220033 फैक्स 07752-260294

वेबसाइट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in

क्र. 35/अका./पात्रता प्रमाण पत्र /2017 - 18

बिलासपुर, दिनांक 03/6/2017

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
वि.वि. शिक्षण विभाग
बिलासपुर वि.वि. बिलासपुर (छ.ग.)
2. प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
बिलासपुर वि.वि. बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश के संबंध में छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सत्र 2017-18 के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भ:- वि.वि. पत्र क्र.379/अका./पात्रता/2013 दिनांक 13.06.2013, पत्र क्र. 620/अका./पात्रता/2014 दिनांक 03.06.2014, पत्र क्र. 2043/अका./पात्रता/2015 दिनांक 28.05.2017 एवं पत्र क्र. 310/अका./पात्रता/2016 दिनांक 25.05.2016

—00—

विषयांतर्गत, निम्नानुसार दिशा निर्देशों का पालन कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:-

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है:-

अ. स्नातक स्तर के लिए:-

- I. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर एवं मान्य बोर्ड, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. के अंतर्गत संचालित विद्यालयों से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को तथा राष्ट्रीय मुक्त परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- II. काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया की सूची में सम्मिलित बोर्ड से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- III. छ.ग. राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालयों से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर में एकीकृत पाठ्यक्रम होने के कारण अधूरा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को भी पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

ब. स्नातकोत्तर स्तर के लिए:-

- I. छ.ग. राज्य स्थित राजकीय विश्वविद्यालय (यथा:- पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., दुर्ग वि.वि., बस्तर वि.वि. जगदलपुर आदि) एवं स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है:-

अ. स्नातक स्तर के लिए:-

- I. छ.ग. राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों के स्नातक से अधूरा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- II. छ.ग. राज्य स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय से अधूरा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों की पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

ब. स्नातकोत्तर स्तर के लिए:-

- I. छ.ग. राज्य स्थित विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर अधूरा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

8

- II. छ.ग. राज्य के बाहर के ऐसे विश्वविद्यालय जो यू.जी.सी. एवं ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त हों, से स्नातक उत्तीर्ण एवं स्नातकोत्तर अधूरा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।
- III. निजी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश/परीक्षा हेतु पात्रता की आवश्यकता होगी।

3. पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- I. विश्वविद्यालय पात्रता कंडिका क्रमांक 1. के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कराकर प्रवेश दें। अभ्यर्थियों को अनावश्यक विश्वविद्यालय न भेजें।
- II. पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन फार्म ऑनलाईन उपलब्ध होने के कारण पात्रता आवेदन फार्म भरकर समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी से अग्रेषित कराकर ही विश्वविद्यालय पात्रता प्रकोष्ठ में निर्धारित पात्रता शुल्क के साथ जमा तिथि से न्यूनतम 07 दिवस पश्चात एवं अधिकतम 15 दिवस के भीतर पात्रता प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा।
- III. अभ्यर्थियों को स्वयं आकर आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। बिना प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी के अग्रेषण आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जावेगा। प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी पात्रता आवेदन अग्रेषण पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि महाविद्यालय में सीट रिक्त है एवं आवेदनमय दस्तावेज पूर्ण है। अपूर्ण आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
- IV. छ.ग. राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर के अधूरा पाठ्यक्रम /उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को समस्त औपचारिकता पूर्ण करने एवं अंतिम परीक्षा वर्ष का पाठ्यक्रम संलग्न करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी द्वारा अग्रेषित कराकर विश्वविद्यालय पात्रता प्रकोष्ठ में निर्धारित शुल्क सहित जमा करने पर पात्रता निर्धारण हेतु विचार किया जावेगा, ऐसे प्रकरण में समय सीमा का निर्धारण नहीं है। प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी अधूरे आवेदन अग्रेषित न करें।
- V. राज्य के बाहर के तथा अधूरे पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को बिना पात्रता प्रमाण पत्र प्रवेश (नियमित/स्वाध्यायी) देने पर विश्वविद्यालय आदेश/निर्देश की अवलहेलना मानी जावेगी।
- VI. नियमित विद्यार्थियों हेतु शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होगा। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। स्वाध्यायी छात्रों हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, तत्पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- VII. छ.ग. शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत में उल्लेखित प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाये। पालन नहीं करने उपरान्त यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण बनता है। तो इस हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष ही पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
- VIII. पात्रता प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक से स्थाई पते पर अथवा आवेदक स्वयं (परिधय पत्र) सहित उपस्थित हो कर 07 दिवस पश्चात प्रेषित/दिया जा सकेगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ व्यक्तिगत आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

क्र. 236/अका./पात्रता प्रमाण पत्र /2017 - 18
प्रतिलिपि:-

बिलासपुर, दिनांक 07/06/2017

1. कुलपति महोदय के निज सहायक को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. परीक्षा नियंत्रक, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. निजी नस्ती/कार्यालय अभिलेख हेतु।



सहायक कुलसचिव (अका.)

बिलासपुर वि.वि. बिलासपुर (छ.ग.)